तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुशीला बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़)** सू.अ.अपील संख्या 144/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी सुशीला निवासी संत रविदास नगर, गली न. 2, भदवासिया, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2023 में (1) प्रकरण संख्या 39/19, बाकीदार खींयाराम पुत्र निम्बाराम जाट, निवासी हिरादेसर वगैरा से 881760/– रूपये व ब्याज की भू–राजस्व वसूली हेतु आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	